न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी धोरीमना
(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार)

राजस्व वाद सं. 312/2015
अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जूझाराम पुत्र जेठाराम 2. दुर्गाराम पुत्र जेठाराम 3. चैनाराम पुत्र जेठाराम 4. खरथाराम पुत्र जेठाराम 5. बाबूलाल पुत्र जेठाराम 6. ऊर्जाराम पुत्र जेठाराम (वादी संख्या 04 से 06 नाबालिंग की कुदरती वली माता मिरगोदेवी पत्नी जेठाराम) जाति जाट निवासी गोदारों का तला, मांगता तहसील धोरीमना		1. जेठाराम गोदपुत्र भूरी धर्मपत्नी वाला 2. बींजाराम पुत्र डालूराम 3. उमाराम पुत्र वालाराम 4. धूड़ाराम पुत्र वालाराम 5. देवाराम पुत्र पदमाराम 6. केसाराम पुत्र पदमाराम 7. हेमाराम पुत्र करनाराम 8. नारणाराम पुत्र करनाराम 9. सताराम पुत्र करनाराम 10. सताराम पुत्र मानाराम 11. मूलाराम पुत्र मानाराम 12. चैनाराम पुत्र मानाराम 13. उदाराम पुत्र मानाराम जातियान जाट निवासी गोदारों का तला, मांगता तहसील धोरीमना 14. शाखा प्रबन्धक बी0 सी0 सी0 बी0 धोरीमना 15. शाखा प्रबन्धक मरूधरा बैंक (थार आंशलिक ग्रामीण बैंक) मांगता। 16. तहसीलदार धोरीमना

अधिवक्तागण –वादीगण वकील – श्री देवाराम चौधरी उपस्थित
प्रतिवादीगण – एक तरफा

निर्णय

दिनांक :– 26.11.2019

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 जेठाराम हिन्दू विधि से शासित है तथा मुतवफी वालाराम के वंशज है। पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमि तहसील धोरीमना पटवार मण्डल मांगता मौजा गोदारों का तला में खेत खसरा नम्बर 201, 204 रकबा क्रमशः 0–16, 539–07 बीघा कुल रकबा 540–03 बीघा व खसरा नम्बर 243 रकबा 188–00 बीघा व ग्राम दूदिया कला के खसरा नमबर 296/180, 298/180, 299/186 रकबा क्रमशः 33–18, 8–00, 26–00 कुल रकबा 67–18 बीघा का संयुक्त खातेदारी का खेत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का आया हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 का खसरा नम्बर 201 व 204 में 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 243 में 1/4 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 296/180, 298/180, 299/186 में 1/4 हिस्सा की आराजी आई हुई है। उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि होने से संयुक्त रूप से काश्त करते है।

वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता वालाराम के नाम से वक्त सेटलमेन्ट पैमाईश हुई थी, वालाराम फौत होने पर भूरी के नाम व भूरी फौत होने से उक्त आराजी

26/11/19

प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद हुई। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त हिन्दू परिवार से है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है।

धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार इस आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सहदायिकी है तथा समस्त सहदायिकों का बराबर हिस्सा है। वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवारा कर काबिज है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार हिन्दू पुरूष के पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री एवम् प्रपौत्र–प्रपौत्री का विधि अनुसार हिन्दू जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के साथ सह खातेदार घोषित होने हेतु यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं. 1 से 13 की तामिली रिपोर्ट प्राप्त बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल लाई गई।

पत्रावली वादीगण के साक्ष्य हेतु तय की गई। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया एवं लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में जमाबन्दी नकल खेत खसरा नम्बर 201, 204 व खसरा नम्बर 243 व खसरा नमबर 296/180, 298/180, 299/186, नामान्तकरण नकलें, परिचय पत्र, राशन कार्ड की प्रतिलिपियां पेश की गई।

प्रतिवादी सं. 1 जेठाराम द्वारा जवाबदावा पेश कर वाद के सभी बिन्दुओ को स्वीकार किया तथा जवाब में बताया कि वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी बींजाराम को कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादी सं. 1 जेठाराम द्वारा एक शपथ पत्र पेश कर बताया

1. कि में ग्राम गोदारों का तला का मूल निवासी हूँ।
2. कि मेरे ग्रम गोदारो का तला खेत खसरा नम्बर 201, 204, 243 व ग्रम दूदिया कला खसरा नम्बर 296,/180, 298/180, 299/186 जो मेरे संयुक्त खातेदारी की भूमि है।
3. कि उक्त भूमि पैतृक व पुस्तैनी है जो मेरे पूर्वजो के नाम से मेरे नाम आई है।
4. कि वादीगण मेरे पुत्र हैं यदि वादग्रस्त आराजी मेरे पुत्रों के नाम से कर दी जाएं तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी।
5. कि वादग्रस्त आराजी में वाददायर करने के बाद व पहले किसी प्रकार का बेचान, दान, वसीयत नही किया है।

सहायक कलेक्टर (SDO) ... सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

वादीगण वकील द्वारा लिखित बहस पेश कि गई। वादीगण वकील की बहस सुनी गई। बहस में कहा कि वादीगण पैतृक/पुस्तैनी भूमि पटवार मण्डल मांगता मौजा गोदारों का तला में खेत खसरा नम्बर 201, 204 रकबा क्रमशः 0–16, 539–07 बीघा कुल रकबा 540–03 बीघा

26/11/15

व खसरा नम्बर 243 रकबा 188—00 बीघा व ग्राम दूदिया कला के खसरा नम्बर 296 / 180, 298 / 180, 299 / 186 रकबा क्रमशः 33—18, 8—00, 26—00 कुल रकबा 67—18 बीघा का है। जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ बराबर हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी में जन्म से आज तक वादीगण का कब्जा काश्त, रहवासी ढाणी, पशुबाड़े, टांके आदि बने हुए है तथ नियमित रूप से रहवास चला आ रहा है और कब्जे को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है। इसलिए वादग्रस्त आराजी में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 जेठाराम के साथ बराबर हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावे।

वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। वादी साक्ष्य शपथ पत्रों एवं प्रतिवादी शपथ पत्र, जवाबदावा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकलों का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन पश्चात् निष्कर्ष है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 जेठाराम के साथ बराबर हिस्सा बनता है। वादग्रस्त आराजी पैतृक एवं पुस्तैनी है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 जेठाराम के साथ बहिस्सा बराबर सह खातेदार घोषित किया जाता है ।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ. का स्वीकार किया जाता है। तहसील धोरीमना पटवार मण्डल मांगता मौजा गोदारों का तला में खेत खसरा नम्बर 201, 204 रकबा क्रमशः 0—16, 539—07 बीघा कुल रकबा 540—03 बीघा व खसरा नम्बर 243 रकबा 188—00 बीघा व ग्राम दूदिया कला के खसरा नम्बर 296 / 180, 298 / 180, 299 / 186 रकबा क्रमशः 33—18, 8—00, 26—00 कुल रकबा 67—18 बीघा वादग्रस्त आराजी में **वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 बींजाराम के साथ बराबर हिस्सा बनता है। वादीगण की उक्त आराजी पैतृक एवं पुस्तैनी है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 जेठाराम के साथ बहिस्सा बराबर सह खातेदार घोषित किया जाता है।** तथा निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

26/11/19

(सुनील कुमार)

सहायक कलक्टर

SDO धोरीमना

सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम धोरीमना
व इजलास श्री सुनील कुमार आर0 ए0 एस0

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जूंझाराम पुत्र जेठाराम 2. दुर्गाराम पुत्र जेठाराम 3. चैनाराम पुत्र जेठाराम 4. खरथाराम पुत्र जेठाराम 5. बाबूलाल पुत्र जेठाराम 6. ऊर्जाराम पुत्र जेठाराम (वादी संख्या 04 से 06 नाबालिंग की कुदरती वली माता मिरगोदेवी पत्नी जेठाराम) जाति जाट निवासी गोदारों का तला, मांगता तहसील धोरीमना		1. जेठाराम गोदपुत्र भूरी धर्मपत्नी वाला 2. बींजाराम पुत्र डालूराम 3. उमाराम पुत्र वालाराम 4. धूड़ाराम पुत्र वालाराम 5. देवाराम पुत्र पदमाराम 6. केसाराम पुत्र पदमाराम 7. हेमाराम पुत्र करनाराम 8. नारणाराम पुत्र करनाराम 9. सताराम पुत्र करनाराम 10. सताराम पुत्र मानाराम 11. मूलाराम पुत्र मानाराम 12. चैनाराम पुत्र मानाराम 13. उदाराम पुत्र मानाराम जातियान जाट निवासी गोदारों का तला, मांगता तहसील धोरीमना 14. शाखा प्रबन्धक बी0 सी0 सी0 बी0 धोरीमना 15. शाखा प्रबन्धक मरूधरा बैंक (थार आंशलिक ग्रामीण बैंक) मांगता। 16. तहसीलदार धोरीमना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना
सत्यमेव जयते
जिला बाड़मेर

राजस्व वाद मुकदमा संख्या 312/2015
अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

जूंझाराम बनाम जेठाराम वगैराह

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय पक्षकारान वादीगण श्री देवाराम चौधरी एड. मिनजानिब मुदाई व प्रतिवादी अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील धोरीमना पटवार मण्डल मांगता मौजा गोदारों का तला में खेत खसरा नम्बर 201, 204 रकबा क्रमशः 0–16, 539–07 बीघा कुल रकबा 540–03 बीघा व खसरा नम्बर 243 रकबा 188–00 बीघा व ग्राम दूदिया कला के खसरा नम्बर 296/180, 298/180, 299/186 रकबा क्रमशः 33–18, 8–00, 26–00 कुल रकबा 67–18 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 बींजाराम के साथ बहिस्सा बराबर सह खातेदार घोषित किया जाता है एवं तथा तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.11.2019 को जारी की गई।

26/11/19

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) धोरीमना

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2019.11.28 16:02:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: